न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 30/11 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. मोहन लाल पुत्र सरदारा जाति माली निवासी बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:------ अपीलांट

बनाम

1. साधूराम पुत्र बद्रीप्रसाद जाति महाजन वासी बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।
2. राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, मुण्डावर
3. उप पंजीयक, मुण्डावर

:----- असल रेस्पो0

4. नरेश पुत्र स्व0 सरदारा जाति माली
5. मनोहर पुत्र स्व0 सरदारा जाति माली
6. रोहिताश पुत्र स्व0 सरदारा जाति माली निवासीयान ग्राम बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:---- तरतीबी रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलेक्टर, मुण्डावर

दिनांक 26.10.2010

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– सुश्री सुषमा

2. वकील रेस्पो0 :– उपस्थित नहीं ।

निर्णय दिनांक 3.3.2017

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उप जिला कलेक्टर, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 190/09 उनवान मोहनलाल बनाम साधुराम वगैरा में पारित निर्णय दिनिांक 26.10.2010 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर वादी अप्रार्थी का वाद खारिज किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी अप्रार्थी ने तहत न्यायालय एक राजस्व वाद पेश किया । दौराने विचारण वाद प्रतिवादी प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1314 रकबा 45 एयर वाके ग्राम बीजवाड चौहान की बाबत राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 29.1.2009 को निर्णय पारित कर खातेदारी की घोषणा कर प्रतिवादी संख्या 01 को इस भूमि का खातेदार घोषित किया जा चुका है । वादी द्वारा इस आराजी की बाबत पुनः दावा पेश किया गया है, जो कानून के खिलाफ है । इस प्रकार मौजूदा वाद रेसज्यूडीकेटा की श्रेणी में आता है । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र खारिज किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

Scanned by CamScanner

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर तर्क दिये कि हमने समय पर अपील पेश करने हेतु अपने वकील को नकल, अन्य दस्तावेजात दे दिये थे, परन्तु उन्होंने अपनी घरेलू परेशानियों की वजह से समय पर अपील पेश नहीं की । इस कारण अपील पेश करने में देरी हुई है । अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः निवेदन है कि अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे । उन्होने आगे तर्क दिये कि मौजूदा वाद रेसज्यूडीकेटा की श्रेणी में नहीं आता है और ना ही आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान लागू होते हैं । प्रतिवादी प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में रेसज्यूडीकेटा को आधार बनाया है, जो आदेश 7 नियम 11 से कवर नहीं होता है । यह धारा 11 सी0 पी0 सी0 में कवर होता है । कानूनन रेसज्यूडीकेटा की तनकी बनाई जाती है और उस पर उभयपक्ष की सुनवाई व साक्ष्य ली जाकर इस तथ्य का निर्णय किया जाता है कि रेसज्यूडीकेटा लागू होता है अथवा नहीं, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया और आनन फानन में गलत तौर पर मेरा दावा खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार कर मेरिटस पर निर्णय हेतु रिमांड किया जावे ।

4. रेस्पो0. उपस्थित नहीं ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट की बहस तर्को पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण मेरिटस पर किया जाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट के तर्कों पर विश्वास करते हुये लिबरल व्यू अपनाया जाता है और अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है ।

6. इसके पश्चात प्रकरण की वस्तुस्थिति पर गौर किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा अपील संख्या 4436/2006 तथा 4972/2006 में पारित निर्णय दिनांक 29.6.2009 की फोटो प्रति संलग्न है । माननीय राजस्व मण्डल ने अपील संख्या 4436/2006 उनवान साधूराम बनाम मोहनलाल स्वीकार कर साधूराम आराजी खसरा नम्बर 1314 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है तथा मोहनलाल की अपील संख्या 4972/2006 खारिज की गई है । इसकी रिट/अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में

Scanned by CamScanner

विचाराधीन है । जब विवादित भूमि की बाबत माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अंतिम रूप से निर्णय किया जा चुका है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील/रिट विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में हम मौजूदा अपील में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं समझते हैं । विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि रेसज्यूडीकेटा की तनकी बनाकर तनकीवार निर्णय करने हेतु प्रकरण को रिमांड किया जावे । इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत है कि इस तकनीकी आधार पर अपील स्वीकार करने का तात्पर्य यह है कि प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, जो कि न्यायोचित नहीं है, क्योंकि जब प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल ने अंतिम रूप से निर्णय कर मौजूदा प्रकरण के प्रतिवादी साधूराम को विवादित आराजी का खातेदार घोषित कर दिया गया है और स्वयं वादी अपीलांट मोहनलाल की अपील खारिज कर दी और वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में मौजूदा प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमांड किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम मौजूदा अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत नहीं समझते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner